



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102022-239909
CG-DL-E-28102022-239909

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4825]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 27, 2022/कार्तिक 5, 1944

No. 4825]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 27, 2022/KARTIKA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2022

का.आ. 5043(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.-4855(अ) तारीख 24 नवम्बर 2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखंड राज्य के देवघर जिले में NH114A के कि.मी. 141 से कि.मी. 184 (देवघर-सारठ-मधुपुर सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चार लेन का बनाने/चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "01.12.2021" को "प्रभात खबर" और "स्वेत पत्र" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

झारखंड राज्य के देवघर जिले में NH114A के कि.मी. 141 से कि.मी. 184 (डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्वीजीशन अफसर, देओघर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण

राज्य का नाम: झारखंड		जिले का नाम: देवघर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: अलुवारा				
	गांव का नाम: डुमरिया				
1	861	निजी	एग्रिकल्चर	0.0687981	राजेंद्र राय & प्रहलाद राय & प्रदीप प्रसाद राय, पिता-गजधर प्रसाद राय (चथरु राय जमाबंदी रैयत) ()
	तालुक का नाम: बंदाजोरी				
	गांव का नाम: देवाली				
1	1	सरकारी	परती	0.2428167	झारखंड सरकार ()
	तालुक का नाम: नारंगी				
	गांव का नाम: सिंघरायडीह				
1	2	सरकारी	परती कदीम	0.1375961	झारखंड सरकार ()
	तालुक का नाम: सारठ				
	गांव का नाम: मुरचुरा				
1	1	सरकारी	परती कदीम	0.295427	झारखंड सरकार ()
2	2	सरकारी	परती कदीम	0.1052206	झारखंड सरकार ()

	तालुक का नाम: सिरसा				
	गांव का नाम: रांगा				
1	12	सरकारी	पार्टी	0.2630514	झारखंड सरकार ()
			कुल	1.1129099	

[फा. सं. RW/Ranchi/LA/Km.141to Km.184 of NH 114A/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th October, 2022

S.O. 5043(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Number S.O 4855 (E) Dated 24 November 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), management and operation of NH114A on the stretch of land from Km. 141 to Km. 184 (Deoghar-Sarth-Madhupur section) in the district of DEOGHAR in the state of JHARKHAND;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Prabhat khabar” and “Shwet paper” both dated 01.12.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH114A in the stretch of land from Km.141to Km.184 (District land acquisition officer) in the district of DEOGHAR in the state of JHARKHAND

State: JHARKHAND			District: DEOGHAR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Alwara				
	Village: Dumaria				
1	861	Private	Agriculture	0.0687981	Rajendra rai& Prahalad Rai & Pradip

					Prasad Rai S/O-late Gajadhar Prasad Rai(Chethuru Rai Jamaband RAIYAT)
	Taluk: Bandajori				
	Village: Devali				
1	1	Government	Parti	0.2428167	government of Jharkhand
	Taluk: Narangi				
	Village: Singhraidih				
1	2	Government	Parati kadim	0.1375961	government of Jharkhand
	Taluk: Sarath				
	Village: Murchura				
1	1	Government	parti	0.295427	government of Jharkhand
2	2	Government	parti	0.1052206	government of Jharkhand
	Taluk: Sirsa				
	Village: Ranga				
1	12	Government	parti	0.2630514	government of Jharkhand
			TOTAL	1.1129099	

[F. No. RW/Ranchi/LA/Km.141to Km.184 of NH 114A/3D]

RAJESH GUPTA, Director